103

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय परिसर, 04 सुभाष रोड, देहरादून।

संख्या : 370 /2(3)14/ XXIV(6)2014 दिनांक: 05 मार्च, 2014

प्रेस नोट

संज्ञान में आया है कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सत्र 2013–14 हेतु सम्बद्धता हेतु प्रक्रियाधीन कतिपय बी0एड0 संस्थानों द्वारा बिना प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों को बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा रहा है व उनके द्वारा उस आशय के विज्ञापन समाचार पत्रो में प्रकाशित किए गए हं जो कि नियमानुसार उचित नही है। चूँकि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा इस आशय की कोई अनुमति संस्थानों को प्रदान नही की गई है। सिर्फ विश्ंवविद्यालय द्वारा आयोंजित परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र ही प्रवेश हेतु अर्ह हो सकते है। अतः इस प्रकार के प्रवेशित छात्रों के प्रवेश मान्य नही हेागें एवं ऐसे प्रवेशित छात्रों की प्रवेश परीक्षा इत्यादि कार्यों हेतु शासन एवं विश्वविद्यालय उत्तरदायी नही होगा एवं इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्थान एवं छात्र–छात्राओं की होगी एवं ऐसे संस्थानेां के विरूद्ध नियमानुसार कडी कार्यवाही की जाऐगी।

मनीषा पंवार
सचिव, उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन।

D: P.K/Doc/G.O lett.